



POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 01.12.2025

1. थाना फेस-2 पुलिस, सीआरटी व सर्विलांस टीम (सेंट्रल नोएडा) द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के दौरान 03 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे/ निशानदेही से 03 चोरी की कार, 01 मोबाइल फोन, 91,000 रुपये नकद, अवैध शस्त्र व घटना में प्रयुक्त कार बरामद ।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 01.12.2025 को थाना फेस-2 पुलिस, सीआरटी व सर्विलांस टीम (सेंट्रल नोएडा) द्वारा संयुक्त रूप से गोपनीय सूचना व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से कार्रवाई करते हुए वाहन चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए दिनांक 27.11.2025 की रात्रि में वादी की कार अटिंगा चोरी करने वाले 03 अभियुक्त 1. पंकज पुत्र अवधेश शाह 2. विवेक यादव पुत्र इन्द्र सिंह यादव 3. प्रेमपाल यादव पुत्र रामवीर सिंह को सेक्टर-92 सर्विस रोड के पास बने पार्किंग एरिया से पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है, अभियुक्त पंकज पुत्र अवधेश शाह द्वारा गिरफ्तारी के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त पंकज गोली लगने से घायल हो गया जिसे उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया, अभियुक्त पंकज के कब्जे से 01 तमंचा .315बोर मय 01 खोखा कारतूस, 01 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्तों के कब्जे/निशानदेही से चोरी की 03 कार क्रमशः अटिंगा रजिनं0- UP16MT6816, क्रेटा रजिनं0- UP16EC0081, टाटा हेरियर रजिनं0- UP14FD0091 व 01 चोरी का मोबाइल फोन, 91,000 रुपये नगद, 01 एटीएम कार्ड एवं घटना में प्रयुक्त कार Aura रजिनं0- MP07AF9948 बरामद की गई है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

- पंकज पुत्र अवधेश शाह, निवासी उझयारपुर, समस्तीपुर, बिहार, वर्तमान पता ई-11, न्यू गोविंदपुरा, दिल्ली, उम्र लगभग 24 वर्ष, शिक्षा कक्षा-5वीं ।
- विवेक यादव पुत्र इन्द्र सिंह यादव, निवासी भट्टमासपुरा, भिंड, मध्य प्रदेश, वर्तमान पता गोडा रोड, शाहदरा, दिल्ली, उम्र लगभग 25 वर्ष, शिक्षा कक्षा- 8वीं ।
- प्रेमपाल यादव पुत्र रामवीर सिंह, निवासी मध्यापुर, सुरपुरा, भिंड, मध्य प्रदेश, वर्तमान पता पचगांव, मानेसर, गुडगांव, हरियाणा, उम्र लगभग 28 वर्ष, शिक्षा कक्षा- 9वीं ।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

- (पंकज पुत्र अवधेश शाह)**

- मु.अ.सं. 232/2022, धारा 356/379/411/34, थाना लक्ष्मीनगर, दिल्ली

- मु.अ.सं. 15A/2023, धारा 41.1(D) सीआरपीसी, थाना अम्बेडकर नगर, दिल्ली
- मु.अ.सं. 585/2025, धारा 303(2)/317(2), बीएनएस, थाना फेस 2, गौतमबुद्धनगर
- मु.अ.सं. 011159/2025, धारा 303(2), बीएनएस, थाना ई पुलिस स्टेशन एमवी थैफट, दिल्ली
- मु.अ.सं. 409/2025, धारा 303(2), बीएनएस, थाना फेस 3, गौतमबुद्धनगर
- मु.अ.सं. 587/2025, धारा 109 बीएनएस एवं धारा 3/25 आम्स्र एकट, थाना फेस 2, गौतमबुद्धनगर

● (विवेक यादव पुत्र इन्द्र सिंह यादव)

- मु.अ.सं. 585/2025, धारा 303(2)/317(2), बीएनएस, थाना फेस 2, गौतमबुद्धनगर
- मु.अ.सं. 011159/2025, धारा 303(2), बीएनएस, थाना ई पुलिस स्टेशन एमवी थैफट, दिल्ली
- मु.अ.सं. 409/2025, धारा 303(2), बीएनएस, थाना फेस 3, गौतमबुद्धनगर
- मु.अ.सं. 587/2025, धारा 109 बीएनएस एवं धारा 3/25 आम्स्र एकट, थाना फेस 2, गौतमबुद्धनगर

● (प्रेमपाल यादव पुत्र रामवीर सिंह)

- मु.अ.सं. 585/2025, धारा 303(2)/317(2), बीएनएस, थाना फेस 2, गौतमबुद्धनगर
- मु.अ.सं. 011159/2025, धारा 303(2), बीएनएस, थाना ई पुलिस स्टेशन एमवी थैफट, दिल्ली
- मु.अ.सं. 409/2025, धारा 303(2), बीएनएस, थाना फेस 3, गौतमबुद्धनगर
- मु.अ.सं. 587/2025, धारा 109 बीएनएस एवं धारा 3/25 आम्स्र एकट, थाना फेस 2, गौतमबुद्धनगर

अभियुक्तों द्वारा किए गए अपराध से संबंधित मुख्य बिंदु--

(1)- दिनांक 27.11.2025 को थाना फेस 2 क्षेत्र से चोरी की गई अटिंगा कार (रजि0न0 UP16MT6816) को चोरी करने के लिए अभियुक्तगण ने अपनी Aura कार (रजि0न0 MP07AF9948) का प्रयोग किया।

(2)- चोरी के बाद अभियुक्तगण कार को बेचने के उद्देश्य से भिंड (मध्य प्रदेश), समस्तीपुर (बिहार) और उत्तरप्रदेश के विभिन्न स्थानों पर ले गए, लेकिन कार नहीं बिक सकी।

(3)- अभियुक्तगण एक गैंग के रूप में कार्य करते हैं और एन.सी.आर. क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से वाहन चोरी करते हैं। दो अन्य चोरी किए गए वाहन भी बरामद हुएः क्रेटा कार (रजि0न0 UP16EC0081, थाना फेस 3 नोएडा), TATA HARRIER (रजि0न0 UP14FD0091, थाना ई पुलिस स्टेशन एमवी थैफट दिल्ली)

(4)- अभियुक्तगण टैक्सी ड्राइवर हैं और दिल्ली, एन.सी.आर. क्षेत्र में घूम-फिरकर रेकी कर वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं।

(5)- चोरी किए गए वाहनों को पुलिस से बचाने के लिए सुनसान जगहों पर कुछ दिन खड़ा किया जाता था और मौका मिलने पर वाहन वहां से हटा लिया जाता था।

(6)- वाहन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए ग्राम देहात के कच्चे रास्तों का प्रयोग किया जाता था ताकि टोल से बचा जा सके।

(7)- यदि चोरी किए गए वाहन का उचित दाम न मिलता, तो अभियुक्तगण दूसरे शहर में बेचने का प्रयास करते थे।

(8)- अभियुक्तगण इंटरनेट कॉलिंग का प्रयोग करते थे ताकि पुलिस उन्हें ट्रेस न कर सके।

(9)- अभियुक्त पंकज के विरुद्ध दिल्ली, एन.सी.आर. में करीब आधा दर्जन मामले दर्ज हैं।

बरामदगी का विवरण--

1- 01 तमचा .315बोर मय 01 खोखा कारतूस, 01 जिंदा कारतूस

2- चोरी की कार अटिंगा रजिनं0- UP16MT6816

3- चोरी की कार क्रेटा रजिनं0- UP16EC0081

4- चोरी की कार टाटा हेरियर रजिनं0- UP14FD0091

5- चोरी का मोबाइल फोन

6- 91,000 रुपये नगद, 01 एटीएम कार्ड

7- घटना में प्रयुक्त कार Aura रजिनं0- MP07AF9948

नोट: डीसीपी सेंट्रल नोएडा द्वारा पुलिस टीम को घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने पर 25,000 रुपये का पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है।

2. थाना ईकोटेक-3 पुलिस द्वारा मोबाइल चोरी/ छिनैती करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी/छिनैती के 10 मोबाइल फोन, अवैध शस्त्र व 01 मोटरसाइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 01.12.2025 को थाना ईकोटेक-3 पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मोबाइल चोरी/ छिनैती करने वाले 03 अभियुक्त 1. आबिद पुत्र नसरुद्दीन सैफी, 2. राजन पुत्र वीरपाल, 3. अभिषेक पुत्र संतोष पाल को हबीबपुर बिजलीघर के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी/छिनैती के 10 मोबाइल फोन, 01-01 अवैध चाकू व 01 मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट बरामद की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. आबिद पुत्र नसरुद्दीन सैफी निवासी हबीबपुर, थाना ईकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर।

2. राजन पुत्र वीरपाल निवासी कोडिया दानी ,थाना नुनाहार, हरदोई, वर्तमान पता एमनाबाद, बिसरख, गौतमबुद्धनगर।

3. अभिषेक पुत्र संतोष पाल निवासी ग्राम मुशेपुर, थाना साहाबाद, हरदोई, वर्तमान पता एमनाबाद, बिसरख, गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोगों का विवरण--

- मु0अ0सं0- 475/2025 धारा 304(2) बीएनएस, थाना ईकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर।
- मु0अ0सं0- 488/2025 धारा 317(5)/345(3) बीएनएस व 4/25 आर्स एक्ट, थाना ईकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

- चोरी/छिनैती के 10 मोबाइल फोन
- 03 अवैध चाकू
- 01 मोटरसाइकिल

3. थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग कर अपने पुत्र (अभियुक्त) को जमानत दिलाने का प्रयास करने वाली वाँछित अभियुक्ता गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 01.12.2025 को थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग कर अपने पुत्र (अभियुक्त) को जमानत दिलाने का प्रयास करने वाली अभियुक्ता समीना पत्नी जुबैर को सेक्टर-58 क्षेत्र बिशनपुरा से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्ता समीना ने अपने पुत्र रहीस पुत्र जुबैर, निवासी बिशनपुरा, सेक्टर-58, नोएडा जो थाना सेक्टर-58 पर पंजीकृत मु0अ0सं0 177/2022 में अभियुक्त है—को जमानत दिलाने हेतु फर्जी आधार कार्ड, भूमि खतौनी एवं अन्य दस्तावेज तैयार कराए। उक्त कूटरचित दस्तावेज कथित रूप से जगदीश पुत्र स्व. पूरन सिंह तथा राजवीर पुत्र स्व. पूरन सिंह, निवासी दरियापुर, बुलंदशहर के नाम से तैयार किए गए थे, जिन पर स्थानीय लेखपाल एवं दरोगा की नकली मोहरें अंकित की गई थीं। इन फर्जी दस्तावेजों को अभियुक्ता ने न्यायालय में जमानत हेतु प्रस्तुत किया था। उक्त प्रकरण संबंध में थाना सूरजपुर पर मु0अ0सं0 462/2025, धारा 420/467/468/471 भादवि बनाम समीना, रहीस आदि पंजीकृत किया गया था। अभियुक्ता समीना उपरोक्त मुकदमे में वाँछित चल रही थी।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण--

समीना पत्नी जुबैर, निवासी : ग्राम बिशनपुरा, थाना सेक्टर-58, गौतमबुद्धनगर, उम्र लगभग 42 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 462/2025, धारा 420/467/468/471 भादवि, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।